ई–टैण्डर अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि से निकाय मे निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से निम्न निर्माण कार्य कराना चाहती है। निविदाओ का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेंट की वेबसाइट http://etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यों की निविदा स्कैन अर्नेस्ट मनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति एव अन्य प्रमाण पत्र कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना में जमा करने की तिथि	दिनांक 27.01.2018 दोपहर 02:00 बजे तक
कार्यों की निविदा अपलोड करने की तिथि	दिनांक 17.01.2018 से दिनांक 27.01.2018 दोपहर 12 बजे तक
कार्यों की निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 27.01.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे के बाद

क्र0 स0	कार्य का विवरण	आंकलन धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	18% GST	समयावधि
1	वार्ड 6 मे वीर अब्दुल हमीद पार्क से छावनी के रास्ते की पुलिया तक नाले का निर्माण व पुराने नाले की दीवार का उच्चीकरण कार्य	10,06,994	20,200	1000	180	1 माह

नोट :–

1. उक्त से संबधित सभी शर्तें उपरोक्त वेबसाईट व पालिका की वेबसाईट www.nppsardhana.com पर अंकित है। शर्तों का पूर्णतः पालन करने पर ही निविदा स्वीकृत हेतु अर्ह होगी।

(निरूपमा प्रताप)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सरधना (मेरठ)

(सबीला बेगम)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
सरधना (मेरठ)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

पत्रांक :– 853 दिनांक :–12.01.2018

वार्ड 6 में वीर अब्दुल हमीद पार्क से छावनी के रास्ते की पुलिया तक नाले का निर्माण व पुराने नाले की दीवार का उच्चीकरण कार्य हेतु शर्तें

1. सशर्त निविदायें मान्य नही होंगी और स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् सरधना में निहित होगा। निविदा शुल्क धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् सरधना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा व उसको पालिका में निर्धारित तिथि व समय में मूल रूप में जमा कराना होगा। उपरोक्त प्रपत्र ना होने की दशा में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश निविदा दिनांक 27.01.2018 को नही खोली जायेगी तो निविदा अगले कार्य दिवस मे खोली जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम 04 मे अंकित विवरण के अनुसार जो भी अधिशासी नगर पालिका परिषद् सरधना जिला मेरठ के पद नाम से बन्धक होगी,स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
5. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
6. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण–पत्र पंजीकरण फीस की प्रति, हैसियत प्रमाण –पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0, पंजीकरण व श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतियॉं अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रिन्टेड प्रति लिफाफे मे रखकर एंव निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य नाम ठेकेदार/फर्म के नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एव मोहर लगाकर उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय तक नगर पालिका परिषद् सरधना कार्यालय में रखें सील्ड बाक्स में डालना अनिवार्य है, यदि लिफाफें पर उक्त अंकित नही होगें तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एँव ऐसी निविदा का संज्ञान नही लिया जायेगा।
7. नगर पालिका परिषद, सरधना में निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों का वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकरण हो चुका हो वही पंजीकृत ठेकेदार निविदा डालने हेतु अर्ह होगें।
8. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में संख्या 622/23–12–2012–2 ऑडिट/09टी0सी0–2 दिनांक 08–06–2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यून दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत धनराशि प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यून पर 01 प्रतिशत दर पर परफॉरमेन्स गारन्टी के रूप में अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उनकी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. शासनादेश संख्या 0145/नौ–9–2013 दिनांक10–12–2013 के द्वारा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अर्न्तगत ठेकेदारों पंजीयन एंव श्रमिकों के पंजीयन करायें जाने अनिवार्य होगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्य आदेश प्राप्ती पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा कराना होगा।
10. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या73385/86–2015–292:2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजो पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान व अभिवाहन प्रपत्र एम0एम0–11 के आधार पर परिवाहन किये जाये, बिना वैध अभिवहन प्रपत्र(एम0एम0–11) से किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रॉयल्टी के साथ–साथ खनिज मूल्य(सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
12. निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लेखित कार्यो का अलग अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्ट मनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त वैबसाइट पर देखा जा सकता है,विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग अलग निविदा आमन्त्रित है।
13. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अर्न्तगत आने वाली समस्त कटौतिया देय होगी।
14. प्रत्येक निविदा दाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित कार्य के स्थल का ठेकेदार भली भाँति निरीक्षण अवश्य कर लें।
15. निविदा के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर नगर पालिका परिषद् सरधना बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
16. शासनादेश संख्या–609/नौ–9–2007–249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक पत्र के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वःघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निर्माण कार्य की 05 वर्षो के रख–रखाव की बाध्यता होगी।
18. उक्त निविदाएं एन0आई0सी0 की वैबसाईट www.nppsardhana.com पर देखी जा सकती है।
19. शर्तो का पूर्णतः पालन करना होगा।

(निरूपमा प्रताप)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद

2018-1-16

Scanned by CamScanner